फा.सं. 3.9(1)/2017- एस सी यू
संघ लोक सेवा आयोग
धौलपुर हाउस,शाहजहां रोड,
नई दिल्ली-110069

दिनांक : 21.03.2017

निविदा आमंत्रण सूचना

संघ लोक सेवा आयोग का कार्यालय पात्र डी एल वाई टैक्सी/ मिनी बस प्रदाता जो संघ लोक सेवा आयोग, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069 से 10-12 कि.मी. के क्षेत्र के भीतर अवस्थित हो, से संविदा करना चाहता है ।

2 तदनुसार, संघ लोक सेवा आयोग को ए सी / नॉन ए सी डी एल वाई टैक्सियां / मिनी बस की आपूर्ति के लिए सीलबंद बोलियां आमंत्रित की जाती हैं । **संघ लोक सेवा आयोग में अपेक्षाएं विस्तृत रूप से निम्नलिखित पांच श्रेणियों में आएंगी:-**

(i) प्रतिदिन 3 से 6 वाहन की दर से दैनिक अपेक्षाएं ।

(ii) विशेष बड़े पैमाने पर परीक्षा और अन्य दिनों की अपेक्षाएं जो 150 वाहन तक वास्तविक अपेक्षाओं पर निर्भर है, किराए पर लिए जा सकते हैं ।

(iii) आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के उपयोग के लिए अच्छी किस्म के वाहन जैसे डिज़ायर / एस एक्स 4 / सियाज या समकक्ष की दैनिक अपेक्षाएं । ऐसे वाहन बहुत ही साफ-सुथरी स्थिति में होने चाहिए और 3 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होने चाहिए ।

(iv) आयोग द्वारा विदेशी प्रतिनिधि मंडलों की व्यवस्था के लिए लग्जरी वाहन जैसे होन्डा सिटी, हुन्डई वर्ना, वॉक्सवैगन वेन्टो, टोयोटा कोरोला आदि की विशेष अपेक्षाएं ।

(v) 15-20 यात्रियों के बैठने की क्षमता वाली एसी मिनी बस। तथापि यह अपेक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आदेश देने हेतु वैकिल्पक है परन्तु बोलीदाता द्वारा दरें उद्धृत करना अनिवार्य है।

3. समय-समय पर अपेक्षाओं में अंतर हो सकता है और वाहन की शनिवार, रविवार तथा अन्य अवकाश पर अपेक्षा हो सकती है जो उनकी वास्तविक अपेक्षाओं पर निर्भर करता है। बोलियां उपर्युक्त किसी भी अथवा सभी श्रेणियों के लिए दी जा सकती हैं। तथापि बोलीदाता को निविदा दस्तावेज की सभी निबंधन एवं शर्तों को पूरा करना होगा ।

निविदा दस्तावेज़ सं. लो. से. आ. की वेबसाइट www.upsc.gov.in और सीपीपी साइट https : // eprocure.gov.in / eprocure /app से डाउन लोड की जा सकती है जिनकी समय सीमा क्रिटिकल डेट शीट में दी गई है जो निम्नानुसार है :-

क्रिटिकल डेट शीट

प्रकाशित किए जाने की तारीख	24.03.2017
बोली दस्तावेज को डाउन लोड करने / बिक्री शुरू करने की तारीख	24.03.2017
बोली के प्रस्तुतीकरण के शुरू होने की तारीख	24.03.2017
बोली के प्रस्तुतीकरण की समाप्ति की तारीख	22.04.2017 को 15.00 बजे
बोली को खोलने की तारीख	24.04.2017 को 15.30 बजे

3.1 बोलियां केवल सी पी पी पी वेवसाइटः https : // eprocure.gov.in / eprocure / app पर प्रस्तुत की जा सकती है। प्रस्तुत की जाने वाली बोली के सभी पृष्ठ, दस्तावेज़ों के विषय वस्तु की प्रकृति से असंबद्ध रहते हुए दस्तावेज़ों को डाउन लोड किए जाने से पहले बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर तथा कमित रूप से संख्या दी जानी चाहिए । वेबसाइट पर एकल भाग या फोल्डर में अपलोड की गई बोलियों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

3.2 निविदाकर्ता/ संविदाकर्ता को सलाह दी जाती है कि प्रापण के लिए केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल पर ''https : // eprocure. gov.in / eprocure /app के माध्यम से ऑन लाइन बोलियों के ई प्रस्तुतीकरण के लिए निविदाकर्ता/ संविदाकर्ता को अनुदेश'' में दिए गए अनुदेशों का अनुपालन करें।

टेलीग्राम / फैक्स / ई-मेल तथा अन्य तरीकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा । इस मुद्दे पर कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा ।

<u>नोट:-</u>

यदि इस कार्यालय के लिए बोली जमा करने की विशिष्ट तारीख किसी घोषित अवकाश या उसके बाद बंद रहने का दिन आता है तो इस कार्यालय के अगले कार्यदिवस को बोली नियत समय अर्थात् 3.00 बजे अपराह्न तक प्राप्त की जाएगी तथा उसी दिन 3.30 बजे खोली जाएगी ।

4. **<u>दो बोली प्रणाली:</u>**

(क) **<u>तकनीकी बोली:</u>** बोलीदाता को निम्नलिखित दस्तावेज़ों की प्रतियों सहित अनुबंध-II में दिए गए जांच सूची में वर्णित दस्तावेज़ों की स्कैन्ड प्रतियों विधिवत रूप से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर की गई हो, प्रस्तुत करनी चाहिए ।

4.1 विगत तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान बोलीदाता का वार्षिक कारोबार 100 लाख रू. प्रति वर्ष से कम नहीं होना चाहिए । वार्षिक कारोबार के विवरण को दर्शाने वाली चार्टरित लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए।

4.2 उपर्युक्त विवरण के अलावा बोलीदाता को फर्म के वार्षिक कारोबार के प्रमाण के रूप में विगत तीन वर्षों अर्थात 2013-2014, 2014-2015 एवं 2015-2016 के वार्षिक खाते की प्रतियां जो विधिवत रूप से चार्टरित लेखाकार से प्रमाणित की गई हो, प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

4.3 बोलीदाता को विगत तीन वर्षों अर्थात 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 की आयकर विवरणी की प्रतियां प्रस्तुत करनी चाहिए ।

4.4 बोलीदाता को 31.3.2016 तक फिक्सड एसेट के रूप में दर्शाए गए वाहनों की सूची सहित 2015-16 की आयकर विवरणी प्रस्तुत करनी चाहिए ।

4.5 बोलीदाता के पास कम से 60 डी एल वाई टैक्सियां होनी चाहिए जिसमें से 30 एसी तथा 30 नॉन एसी डी एल वाई टैक्सियां अर्थात **<u>वैगन आर / स्विफ्ट / आई 10 / टोयोटा लीवा/ ईको / इंडिगो / डिजायर / इटियोस / एस एक्स 4 / सियाज़/ इनोवा / होन्डा सिटी/ हुन्डई वर्ना/ वॉक्सवैगन वेन्टो, टोयोटा कोरोला आदि या समकक्ष होनी चाहिए</u>** जो 2012 मॉडल से पुरानी न हो । वरिष्ठ अधिकारियों के लिए किराए पर लिए गए वाहन तथा लक्जरी वाहन 2014 से पुराने मॉडल के न हों । 60 डी एल वाई टैक्सियां टैक्सी के स्वामित्व के समर्थन में बोलीदाता वाहन के वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करेंगे। एक अलग शीट पर बोली में वाहनों की सूची उनकी पंजीकरण सं., बनावट तथा मॉडल एवं उनमें वाहनों की एसी स्थिति को

निर्दिष्ट करते हुए प्रस्तुत की जानी चाहिए । **इन 60 वाहनों में से 10 एसएक्स-4 / सियाज या समकक्ष वाहन 2014 से पहले के मॉडल के नहीं होने चाहिए।**

4.6 सं.लो.से.आ. को 15-20 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाली एसी मिनी बस की अपेक्षा है और बोलीदाताओं को उनके अपने वाहनों के विवरण को भी प्रस्तुत करना चाहिए । ऐसे वाहन का स्वामित्व न होने की स्थिति में बोलीदाता आयोग को अपेक्षा पड़ने पर एसी मिनी बस की व्यवस्था करने का परिवचन प्रस्तुत करेंगा । इस अपेक्षा के लिए दरें उद्धृत करना बोलीदाता के लिए अनिवार्य है लेकिन सं. लो. आ. द्वारा किराए पर लेने के लिए वैकल्पिक है ।

4.7 बोलीदाता के पास विगत में सरकारी / अर्ध्द-सरकारी / स्वायत्त संगठन / विभागों को वाहन की सेवाएं प्रदान करने का 4 वर्ष का न्यूनतम अनुभव होना चाहिए । इस संबंध में 4 वर्षों में से प्रत्येक के दौरान जारी आदेश की प्रतियां प्रस्तुत की जानी है।

4.8 बोलीदाता के पास आज की तारीख में दो जारी / चालू संविदा होनी चाहिए। प्रत्येक मामले में कार्य आदेश की प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।

4.9 बोलीदाता को पैन कार्ड की प्रति तथा सेवाकर पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति भी प्रस्तुत करनी चाहिए ।

4.10 इस आशय का एक प्रमाण-पत्र जिसमें यह वर्णित हो कि ए सी / नॉन-ए सी वाहन जो प्रदान किया जाएगा वह विद्यमान यूरो / भारत स्टेज मानक के होंगे या समय-समय पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा लागू कोई अन्य मानक के अनुसार होंगे।

4.11 इस आशय का एक प्रमाण-पत्र निविदाकर्ता / डी एल वाई आपरेटर से लिया जाए कि मांग पर कार्य पर नियुक्त किए जाने वाले वाहन चालक को दिल्ली की सड़कों का पूरी तरह से अनुभव है, प्रस्तुत किया जाए ।

4.12 बोलीदाता से एक प्रमाण-पत्र लिया जाए जिसमें यह वर्णित हो कि उन्हें सभी निबंधन एवं शर्तें स्वीकार्य हैं, **इसे अनुबंध-।।। में संलग्न प्रारूप में बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।**

4.13 बोलीदाता कृपया नोट करें कि उन्हें उनकी वित्तीय बोली में सभी श्रेणी के वाहनों अर्थात अनुबंघ-1 की सभी 14 मूल्य अनुसूची की सभी मदों के लिए दरें उद्धृत करने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है । वे बोलीदाता जो सभी मदों और या मूल्य अनुसूची की सभी तालिकाओं के लिए दरें उद्धृत नहीं करते है उन्हें गैर जिम्मेदार माना जाएगा तथा उनकी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

(ख) **<u>वित्तीय बोली:</u>** जमा धरोहर राशि के लिए डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर की प्रति सहित दैनिक अपेक्षाओं के लिए अनुबंध-। क, बड़े पैमाने पर अपेक्षाओं के लिए अनुबंध-। ख और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अनुबंध-1 ग, लग्जरी वाहनों की विशेष अपेक्षा के लिए अनुबंध-1 घ तथा मिनीबस के लिए अनुबंध-1 ड. में दिए गए **निर्धारित प्रपत्र में** वित्तीय बोली की स्कैन्ड प्रति अपलोड की जानी चाहिए।

4.14 तकनीकी बोली उपर्युक्त निर्दिष्ट तारीख को 3.30 बजे अपराह्न में ऐसे बोलीदाताओं या उनके प्रतिनिधि जो इसमें उपस्थित होना चाहते हैं, की उपस्थिति में खोली जाएगी ।

4.15 केवल उन बोलीदाता (बोलीदाताओं) की <u>वित्तीय बोली (बोलियां)</u> को अनुवर्ती तारीख में खोला जाएगा जिनकी बोलियाँ तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन के पश्चात तकनीकी रूप से स्वीकार्य माना जाएगा।

4.16 काल्पनिक / सशर्त / अपूर्ण बोली पर विचार नहीं किया जाएगा ।

5. **<u>देर से प्राप्त बोलियां</u>**- उपर्युक्त पैरा-3 में यथानिर्दिष्ट विशिष्ट तारीख एवं समय के बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

6. **<u>जमा धरोहर राशि (ई एम डी)</u>**

6.1 2,00,000 रू0 (दो लाख रू. मात्र) की **मूल जमा धरोहर राशि की हार्ड प्रति** जो किसी भी वाणिज्यिक बैंक से डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर / मियादी जमा रसीद / बैंकर्स चेक या बैक गारंटी के रूप में हो और जो सचिव, सं.लो.से.आ., नई दिल्ली-110069 के नाम से देय हो, को क्रिटकल डेट शीट में यथावर्णित बोली के खुलने की तारीख / समय पर या उससे पहले सं. लो. से. आ. को सुपुर्द की जानी चाहिए ।

6.2 अंतिम निविदा वैधता अवधि से परे जमा धरोहर राशि 45 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी ।

6.3 बोली की वैधता अवधि के भीतर यदि कोई बोलीदाता अपने बोली को वापस लेता है या उनमें, कोई संशोधन करता है या विकृत करता है या उनमें किसी प्रकार की कमी करता है तो बोलीदाता की जमा धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा । इसके अतिरिक्त, यदि सफल बोलीदाता निर्दिष्ट, अवधि के भीतर अपेक्षित निष्पादन प्रतिभूति को पूरा करने में असफल रहते हैं तो उसकी जमा धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा ।

6.4 संविदा को अंतिम रूप प्रदान करने के बाद, सभी असफल बोलीदाताओं की जमा धरोहर राशि को बिना किसी ब्याज के, चाहे जो भी हो, लौटा दी जाएगी । निष्पादन प्रतिभूति के प्राप्त होने के बाद सफल बोलीदाता (ओं) को जमा धरोहर राशि लौटा दी जाएगी ।

7. <u>निष्पादन प्रतिभूति</u>

7.1 सफल बोलीदाताओं को, पंजीकरण स्थिति आदि के असंबद्ध रहते हुए, 6,00,000 रू. (छः लाख रू. मात्र) की निष्पादन प्रतिभूति, किसी भी वाणिज्यिक बैंक से आदाता खाता डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर / बैंक गारंटी / मियादी जमा रसीद के स्वीकार्य रूप में जो सचिव सं.लो.से.आ. के पक्ष में देय हो, दो सफल बोलीदाताओं में से प्रत्येक को संविदा प्रदान करने के 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत करनी होगी ।

7.2 आपूर्तिकर्ता के सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरे होने की तारीख से परे निष्पादन प्रतिभूति साठ दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी ।

7.3 निष्पादन प्रतिभूति संविदा के सभी प्रकार से विधिवत निष्पादित एवं पूरे होने के बाद आपूर्तिकर्ता को बिना किसी ब्याज के, चाहे जो भी हो, लौटा दी जाएगी।

7.4 यदि फर्म संविदा के किसी भी निबंधन एवं शर्तों को निष्पादित करने में असफल रहती है तो निष्पादन प्रतिभूति को जब्त कर लिया जाएगा, इसके अलावा उन्हें काली सूची में भी डाला जा सकता है ।

7.5 बोलीदाता को अपनी बिना शर्त दरें अनुबंध-I के अनुसार स्पष्ट से उद्धृत करनी चाहिए। कटिंग / ओवरराईटिंग, यदि कोई हो, को प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए । निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत् रूप से मुहर लगाई जानी चाहिए तथा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए ।

7.6 प्रत्येक बोलीदाता को अनुबंध-1 की मूल्य अनुसूची में मांगे गए सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए दरें उद्धृत करनी हैं अर्थात उन्हें दैनिक अपेक्षाओं के लिए (तालिका 1 से तालिका 5), भारी मात्रा में अपेक्षा के लिए (तालिका 6 से तालिका 10), वरिष्ठ अधिकारियों के लिए (तालिका 11 से तालिका 12), लग्जरी वाहनों की विशेष अपेक्षा के लिए (तालिका 13) और एसी मिनी बस (तालिका 14) की सभी मदों के लिए दरें उद्धृत करनी हैं।

8. यदि कोई बोलीदाता केंद्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय / विभाग को पहले से ही ए सी / नॉन-ए सी डी एल वाई टैक्सियों की सेवाएं दे रहा है तो बोली के साथ कार्य आदेश की प्रति भी प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

9. **<u>अन्य निबंधन एवं शर्तें</u>**

9.1 संबंधित फर्म से निष्पादन प्रतिभूति की प्राप्ति की तारीख से संविदा 2 वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगी। तथापि संविदा को एक और वर्ष के लिए उन्हीं दरों तथा निबंधन एवं शर्तों पर बढ़ाया जा सकता है ।

9.2 भावी बोलीदाता कृपया नोट कर लें कि एसी / नॉन-एसी डी एल वाई टैक्सियों को किराए पर लेने के लिए इस कार्यालय द्वारा दो टैक्सी आपरेटरों के पैनल एल-1 एवं एल-2 बनाए जाएंगे। ए सी / नॉन- ए सी टैक्सियां उस दर पर किराए पर ली जाएंगी जिसकी दर सबसे कम (एल-1 दर) होगी जैसाकि एल-1 बोलीदाता के द्वारा उद्धृत या समझौता किया गया है जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन होगी । यह एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि एसी / नॉन एसी टैक्सियां एल-2 बोलीदाता जिसका नाम पैनल में शामिल किया गया है, उसी दर पर किराए पर ली जाएगी जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है। बोलीदाता इस बात पर विशेष ध्यान दें कि एल-2 बोलीदाता को एल-1 अनुमोदित दरों पर ही वाहन उपलब्ध कराने होंगे। इस कार्यालय की 50% अपेक्षाओं के लिए एल-2 बोलीदाता से वाहन किराए पर लिया जाएगा ।

9.2.2 यदि अनुमोदित एल-1/एल-2 द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में दोष होता है तो अनुमोदित एल-1 दर पर अन्य भाग लेने वाले बोलीदाताओं के वाहनों को भी किराए पर लिया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए बोलीदाताओं की पूर्व सहमति से संविदा में भाग ले रहे बोलीदाताओं का एक पैनल बनाया जाएगा।

9.3 बोलीदाता निविदा आमंत्रण सूचना के निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध-1-क से अनुबंध-1- ढ) में वित्तीय बोली प्रस्तुत करेंगे। बोलीदाताओं द्वारा अनुबंध के क्रम संख्या 1 में उनके द्वारा उद्धृत दरों के मूल्यांकन के आधार पर एल-1 और एल-2 बोलीदाताओं का निर्णय किया जाएगा (अर्थात पूरा दिन 80 किलोमीटर और 10 घंटे)। उसके पश्चात एल-1 और एल-2 फर्मों की दरों की तुलना की जाएगी और अनुबंध-1-क से अनुबंध-1- ढ के क्रम संख्या 2 से क्रम संख्या 7.2 में उल्लिखित सभी मदों के संबंध में एल-1 और एल-2 फर्मों द्वारा उद्धृत न्यूनतम दरों के आधार पर अंतिम दरें अनुमोदित की जाएंगी। एल-1 और एल-2 फर्म अनुमोदित दरों पर डी एल वाई टैक्सियां उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होंगी ।

9.4 **<u>जोखिम किराया खंड</u>:-** यदि एल-1 एवं एल-2 बोलीदाता वाहनों की अपेक्षित संख्या की आपूर्ति करने में असफल रहते हैं तो यह कार्यालय एल-1 एवं एल-2 बोलीदाता के जोखिम एवं लागत पर अन्य टैक्सी स्टैंड से डी एल वाई टैक्सियां किराए पर लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है । वैकल्पिक व्यवस्था और एल-1 की निविदा मूल्य के

बीच लागत अंतर को एल-1/ एल-2 बोलीदाता के लंबित बिल/ निष्पादन प्रतिभूति से वसूला जाएगा । यदि सं.लो.से.आ. को वैकल्पिक व्यवस्था के लिए बाध्य किया जाता है तथा यदि कीमत कम हो तो इसके लिए मद पर कोई भी लाभ एल-1/ एल-2 बोलीदाता को नहीं दिया जाएगा ।

9.5 इस कार्यालय की एक टीम उनकी उपयुक्तता के मूल्यांकन के लिए बोलीदाताओं के परिसर का दौरा करेगी और डी एल वाई टैक्सी की आपूर्ति के लिए बोलीदाता की उपयुक्तता के संबंध में रिपोर्ट सं.लो.से.आ. को प्रस्तुत करेगी । समिति के निर्णय को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो तकनीकी रूप से अर्हक बोलीदाताओं का निर्णय करेगा ।

9.6 बोली की प्रस्तुति एवं उक्त को विधिवत स्वीकार करने अर्थात् संविदा को प्रदान किए जाने के बाद संविदाकर्ता इन निविदा दस्तावेज़ों के निबंधन एवं शर्तों के अनुपालन करने में असफल रहते हैं या अपनी संविदा अवधि को पूरा करने में असफल रहते हैं या संविदा को किसी भी समय परित्याग कर देते हैं, सं.लो.से.आ. को यह अधिकार होगा कि वह जमा धरोहर राशि को जब्त कर ले या निष्पादन प्रतिभूति, यदि बोलीदाता द्वारा जमा की गई, को भुना ले ।

9.7 प्रदान किए गए वाहन प्राधिकृत रूप से टैक्सी के रूप में प्रयुक्त होंगे तथा इन क्षेत्रों में चलाए जाने की समुचित अनुमति होनी चाहिए ।

9.8 संविदाकर्ता को अल्प समय की सूचना पर (45 मिनट के भीतर) ए सी / नॉन ए सी डी एल वाई टैक्सियां प्रदान करने के लिए सक्षम होना चाहिए। नियमित मांग के लिए टैक्सी को 30 मिनट अग्रिम में निर्धारित स्थल पर पहुंचना होगा।

9.9 टैक्सी में लगाए गए ड्राइवर के पास टैक्सी के प्रचालन के लिए यातायात प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्र जैसे रोड टैक्स क्लीयरेंस, प्रदूषण प्रमाण-पत्र, व्यावसायिक प्रमाण-पत्र आदि सभी उद्धृत किए गए वाहनों के साथ होना चाहिए ।

9.10 वाहन पूरी तरह से बीमांकित होना चाहिए और उसके लिए राज्य परिवहन विभाग / प्राधिकरण से आवश्यक परमिट प्राप्त होना चाहिए ।

9.11 नियुक्त किए गए ड्राईवर को दिल्ली / नई दिल्ली के प्रमुख मार्गों की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए ।

9.12 **शास्ति खंड** : संविदाकर्ता को नियमित आधार पर भाड़े के वाहन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा जिन्हें प्रयोक्ता द्वारा मासिक / दैनिक आधार पर किराए पर लिया जाएगा, ऐसा न होने पर रूपये 1000/- प्रतिदिन, प्रति वाहन शास्ति लगाई

जाएगी । दोबारा शिकायत आने पर 10 गुणा अर्थात 2000/-, तीसरी बार 3000/- और इस प्रकार 10 शिकायतों तक बढ़ाई जाएगी । यदि शिकायत 10 बार से अधिक होती है तो संविदा को समाप्त किया जा सकता है । प्रतिभूति जमा / निष्पादन बैंक गारंटी जब्त कर ली जाएगी और बैंक गारंटी को भुना लिया जाएगा । प्रयोक्ता के पास निविदाकर्ता के जोखिम और लागत पर भाड़े के वाहनों की सेवा के लिए किसी अन्य एजेंसी को नियुक्त करने की शाक्ति होगी ।

9.13 कार्य पर लगाए गए वाहन साफ - सुथरी अवस्था में हों । उपलब्ध कराए गए वाहनों की सामान्य दशा अच्छी होनी चाहिए । सीटें आरामदायक तथा पैर रखने का समुचित स्थान होना चाहिए । सीटें हमेशा साफ सुथरे अच्छे किस्म के सीट कवर से ढककर रखनी चाहिए । यदि वाहन गंदी या जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पाया जाता है तो रूपये 1000/- प्रतिदिन प्रति वाहन की दर से शास्ति अधिरोपित की जाएगी । दोबारा शिकायत आने पर 10 गुणा अर्थात 2000/-, तीसरी बार 3000/- और इस प्रकार 10 शिकायतों तक बढ़ाई जाएगी । यदि शिकायत 10 बार से अधिक होती है तो संविदा समाप्त की जा सकती है ।

9.14 वाहन के खराब होने की स्थिति में उक्त वाहन को एक घंटे के भीतर बदलना होगा । उपयुक्त वाहन उपलब्ध न होने की स्थिति में 200/- प्रति घंटा की दर से शास्ति लगाई जाएगी जो एक दिन के लिए 1000/- रूपये से अधिक नहीं होगी । इसके अलावा यदि संविदाकर्ता वाहन के खराब होने की स्थिति में एक घंटे के भीतर वैकल्पिक वाहन उपलब्ध नहीं करा पता है और प्रयोगकर्ता को इसका वाहन किराए पर लेना पड़ता है तो संविदाकर्ता को उक्त वाहन का पूरा किराया वहन करना होगा ।

9.15 अतिरिक्त घंटों के दौरान वाहन उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रत्येक अवसर के लिए 1000/- रूपये की दर से शास्ति लगाई जाएगी ।

9.16 ड्राइवर को साफ सुथरी गहरी नीली वर्दी में होना चाहिए और उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए । ड्राइवर के पास मोबाइल फोन होना चाहिए । यदि ड्राइवर समुचित वर्दी या बिना मोबाइल फोन के ड्यूटी पर रिपोर्ट करता है तो फर्म पर प्रत्येक दोष के लिए 500/-(पांच सौ रूपए मात्र) की दर से शास्ति लगाई जाएगी।

9.17 किसी अधिकारी के साथ लगाई गई कार और ड्राइवर में प्रयोक्ता अधिकारी की पूर्व सहमति के बिना परिवर्तन नहीं होगा । दोषी पाए जाने पर रूपये 1000/- प्रति अवसर की दर से शास्ति लगाई जाएगी ।

जब भी और जहां भी यह पाया जाता है कि दिया गया कार्य प्रयोक्ता की पूरी संतुष्टि के साथ पूरा नहीं किया गया है तो शास्ति खंड को लागू करते हुए 1000/- रूपये प्रतिदिन प्रति शिकायत की दर से शास्ति लगाई जाएगी ।

9.18 बिल कार्यालय परिसर से शुरू होगा न कि टैक्सी स्टैंड से । मांग पर सभी वाहन मोटर यातायात पर्यवेक्षक, सं.लो.से.आ. को पहले अवश्य रिपोर्ट करें, जहां पर रविवार तथा राष्ट्रीय अवकाश दिनों को छोड़कर सभी दिनों में मीटर की रीडिंग नोट की जाएगी और उसके पश्चात गन्तव्य स्थल को जाएगी । रविवार तथा अन्य राष्ट्रीय अवकाश के दिनों में गाड़ी सीधे पदनामित व्यक्ति को रिपोर्ट करेगी जहां मीटर रीडिंग प्रयोगकर्ता द्वारा स्वयं नोट की जाएगी ।

9.19 कभी-कभी सं.लो.से.आ. को विशेष दिनों में भारी संख्या में डी एल वाई वाहनों (अर्थात 150 वाहन तक) की आवश्यकता होती है । संविदाकर्ता, स्वयं अपनी ओर से डी एल वाई टैक्सियों के अन्य संचालकों से संपर्क करके अतिरिक्त मांग की आपूर्ति करने के प्रति उत्तरदायी होंगे और ऐसे अतिरिक्त वाहन संविदा की दरों तथा शर्तों के अनुसार उपलब्ध कराने होंगे । सामान्यतः सं. लो. से. आ. को प्रतिदिन 3-6 डी एल वाई वाहन तथा एक ए सी मिनी बस जिसके बैठने की क्षमता 15-20 व्यक्तियों की हो, किसी भी दिन किराए पर ली जा सकती है जो उनकी वास्तविक अपेक्षाओं पर निर्भर करेगा ।

9.20 संविदा की अवधि के लिए दरें एक समान रहेंगी। संविदा की अवधि के दौरान डी एल वाई टैक्सी की आपूर्ति की अनुमोदित दरों में किसी भी परिस्थिति में जैसे: बाजार में ईंधन की कीमतों में वृध्दि, या कोई अन्य कारण जो भी हो किसी प्रकार की वृध्दि का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

9.21 यदि किसी अवसर पर यह पाया जाता है कि किसी वाहन का ड्राइवर समय तथा किलोमीटर के मामले में डयूटी स्लिप में मीटर की रीडिंग, या कार्य/यात्रा शुरूआत या समाप्ति में गलत समय भरता है तो टैक्सी स्टैंड इस सब के लिए उत्तरदायी होगा । ऐसे वाहन के बारे में यह कार्यालय पूरे दिन का भुगतान रोकने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है ।

9.22 नि.आ.सू. में किए गए विभिन्न प्रावधानों के आधार पर निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में सचिव, सं.लो.से.आ. का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा ।

9.23 बिल तथा ड्यूटी पर्ची आदि प्रस्तुत करने के पश्चात तथा संतोषजनक सेवा को ध्यान में रखते हुए तथा नि.आ.सू. में यथानिर्दिष्ट प्रावधानों को पूरा करते हुए भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा ।

9.24 आयोग को अधिकार है कि संविदा समाप्त करने के उद्देश्य से संविदाकर्ता को एक कैलेन्डर माह का नोटिस देकर बिना कोई कारण बताए संविदा समाप्त कर सकता है।

9.25 संविदाकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि ड्राईवर हमेशा अनुशासन में, समुचित रूप से वर्दी पहने हुए तथा ड्यूटी के दौरान पूरे समय उपस्थित रहे । संविदाकार द्वारा तैनात व्यक्ति समुचित रूप से प्रशिक्षित हो, अपेक्षित अनुभव रखता हो और कार्य को करने में कुशल हो ।

9.26 संविदाकर्ता ड्राईवरों को वर्ष में दो बार गर्मी तथा सर्दियों की वर्दी के दो-दो जोड़े अपनी लागत पर उपलबध कराएगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि वे ड्यूटी के दौरान वर्दी पहने । प्रत्येक वर्ष की गर्मियों की वर्दी अप्रैल में तथा सर्दियों की वर्दी अक्टूबर माह में उपलब्ध करनी होगी ।

9.27 ड्राईवरों को लगाने तथा उन्हें काम पर रखने तथा श्रम विधि तथा विनियमावली के अनुसार उनके वेतन भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी संविदाकार की होगी और इस प्रकार के नियमों के उल्लंघन को संविदा की शर्तों के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा ।

9.28 संविदाकर्ता को किराए पर लिए गए वाहनों को चलाने के लिए अनुभवी तथा प्रशिक्षित ड्राइवरों को लगाना होगा और सुरक्षित ड्राइविंग सुनिश्चित करके वाहनों में यात्रा करने वाले अधिकारियों / कार्मिकों तथा अपने साथ ले जा रही आवश्यक सामग्री की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी । इस प्रकार से उपेक्षापूर्ण ढंग से वाहनों को चलाने या तेज ड्राईविंग से होने वाले किसी नुकसान के लिए ग्राहक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं होगा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 29 के अंतर्गत अपराध है और उपभोक्ता को इस प्रकार होने वाली क्षति के लिए संविदाकर्ता जिम्मेदार होगा ।

9.29 संविदाकर्ता को पदनामित परिवहन अधिकारी से मीटर की नियमित जांच करनी होगी और उपभोक्ता को प्रत्येक तिमाही में इस प्रकार का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा ।

9.30 संविदाकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपलब्ध कराई गई कारें पूरी तरह से ठीक हालत में होनी चाहिए । इसमें परफ्यूम होने चाहिए तथा अग्निशमन उपकरण विधिवत रूप से लगा होना चाहिए । इन अनुदेशों का पालन न करने की स्थिति में संविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बिलों से 50/- रू. प्रतिदिन की दर से कटौती कर ली जाएगी ।

9.31 संविदाकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है। वे व्यवहार कुशल, संगत रूप से शिक्षित और यातायात के नियमों / विनियमों, शहर की सड़कों / रास्तों तथा सुरक्षा अनुदेशों से भली भांति परिचित हैं ।

9.32 संविदाकर्ता को संपर्क के लिए तथा 24 X 7 दिनों के दौरान बुकिंग करने के लिए पर्याप्त टेलीफोन सेवाएं अपने पास रखनी होगी ।

9.33 संविदाकर्ता अपने ड्राईवरों को डयूटी के दौरान तथा मृत्यु की स्थिति में बीमा सुरक्षा प्रदान करेगा और इस संदर्भ में उपभोक्ता का कोई दायित्व तथा जिम्मेदारी नहीं

होगी। उपभोक्ता किराए पर लिए गए वाहन को पंहुची गई किसी हानि / क्षति या मृत्यु / या किसी व्यक्ति को पहुंची चोट या किसी संपत्ति को हुए नुकसान के लिए किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा । संविदाकर्ता इन सब की मुकदमेबाजी के लिए उत्तरदायी होगा ।

9.34 संविदाकर्ता का ड्राईवर उपभोक्ता का कर्मचारी नहीं माना जाएगा और वे अपनी डयूटी/ कार्य के लिए संविदा के अंतर्गत किसी प्रकार का वेतन तथा भत्तों का दावा नहीं करेंगे । इस समझौते के अंतर्गत संविदाकर्ता को उन्हें ये सभी बातें लिखित में देनी होगी ।

9.35 संविदाकर्ता को अपनी लागत पर सभी संवैधानिक या अन्य लाभ अपने कर्मचारियों को उपलब्ध करने होंगे और उपभोक्ता इस मामले में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा । संविदाकर्ता श्रम कानूनों, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि विधियों, ई.एस.आई.सी. विधियों, आयकर विधियों तथा न्यूनतम मजदूरी विधि, संविदा श्रमिक (विनियमावली उन्मूलन अधिनियम) या अन्य लागू नियम के पालन के लिए बाध्य होगा ।

9.36 **<u>मध्यस्थता</u>**

संघ लोक सेवा आयोग तथा फर्म के बीच पैदा होने वाले किसी विवाद या मतभेद जो किसी निर्णय, अर्थ तथा प्रक्रिया या इस संविदा पर पड़ने वाले प्रभाव या संविदा भंग होने की स्थिति में विवाद का निपटान मध्यस्थता तथा समाधान अधिनियम 1996 के उपबन्धों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा किया जा सकेगा और उसका निर्णय संघ लोक सेवा आयोग तथा फर्म दोनों पर बाध्यकारी होगा । मध्यस्थता का स्थल दिल्ली होगा ।

9.37 **<u>क्षेत्राधिकार</u>**

मध्यस्थता के अध्यधीन उपर्युक्त के अलावा इस करार के कारण कोई वाद या कार्रवाई जो दोनों पक्षों में से किसी भी अधिकार का हनन करती हो, दिल्ली में दायर की जाएगी और उस पर केवल दिल्ली के न्यायालय में ही न्यायिक जांच होगी और अन्य किसी न्यायालय में नहीं होगी । और अब से दोनों पक्ष ऐसे न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्वीकार करने के प्रति स्वेच्छा से सहमत होंगे ।

9.38 <u>निर्धारित क्षतियां/शास्तियां:-</u>

वेंडर को पूर्णतया कार्यक्षेत्र के अनुसार और निविदा के निबंधनों और शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि में निष्पादित करनी है इसमें असफल रहने पर संघ लोक सेवा आयोग अन्य किसी अधिकार अथवा उपलब्ध उपचार के प्रति दुर्भावना व्यक्त किए बिना निर्धारित क्षति के रूप में बोलीदाता से हानि के रूप में इस कार्यालय द्वारा ऐसी किसी धनराशि को जो निश्चित / निर्धारित की गई हो, वसूल कर सकते हैं और सामग्री की सुपुर्दगी के संतोषजनक रूप से पूरा करने में विलंब के लिए एक प्रतिशत प्रति दिन अथवा उसके भाग की दर से अलग से शास्ति नहीं लगाई जाएगी जो विलंब और आपूर्ति के संविदा मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत के अध्यधीन है। बशर्ते कोई हानि अथवा विलंब किसी भी पक्ष (अनिवार्य बाध्यता) के नियंत्रण से परे किन्हीं कारणों से हुई हो, सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को ऐसी हानि अथवा शास्ति जो वे उचित समझे को माफ करने का एकल विवेकाधिकार होगा बशर्ते यह भी कि बोलीदाता लिखित में उन कारणों को ऐसे विलंब की तारीख से अथवा ऐसी हानि के 10 दिन अथवा उसके एक भाग के भीतर ऐसे विलंब अथवा हानि के कारणों को स्पष्ट करेंगे । यदि आपूर्ति में 10 दिनों से अधिक विलंब होता है तो संघ लोक सेवा आयोग आदेश को रद्द कर सकेगा और फर्म की लागत और जोखिम पर किसी अन्य स्रोत से सामग्री प्राप्त करने तथा वेंडर की निष्पादन प्रतिभूति को जब्त करने तथा सचिव, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उचित समझी जाने वाली अन्य कार्रवाई करने की स्वतंत्रता होगी ।

9.39 निविदा का वार्षिक मूल्य लगभग 180 लाख रूपए है ।

(अनिल कुमार)
अवर सचिव(बैठक एवं अनुरक्षण)
संघ लोक सेवा आयोग

(अनिल कुमार)
अवर सचिव(बैठक एवं अनुरक्षण)
संघ लोक सेवा आयोग

निविदा प्रपत्र

एसी / नॉन एसी डी एल वाई टैक्सियों / मिनी बस की आपूर्ति के लिए निविदा

दिनांक :

सेवा में

श्री अनिल कुमार,
अवर सचिव (बैठक एवं अनुरक्षण),
संघ लोक सेवा आयोग
धौलपुर हाउस , शाहजहां रोड,
नई दिल्ली– 110069 ।

संदर्भः दिनांक .... का आपका निविदा जांच दस्तावेज़ सं. ....

हम अधोहस्ताक्षरी ने उपर्युक्त निविदा दस्तावेज़ की जांच की है और प्रत्येक मद का नमूना देखा है । अब हम विनिर्दिष्ट प्रारूप में संलग्न तकनीकी बोली में विनिर्दिष्टियों के समनुरूप अपेक्षित स्टेशनरी / सामान्य मदों की आपूर्ति और सुपुर्दगी करने का प्रस्ताव करते हैं। विहित प्रारूप में हमारी तकनीकी बोली के साथ वित्तीय बोली (अलग सीलबंद कवर में) एतदद्वारा संलग्न की जाती है और इस निविदा का भाग है । जमा धरोहर राशि / बोली प्रतिभूति के रूप में .... (बैंक का नाम) पर देय ....रू. ....रू.) की राशि का दिनांक .... का पे आर्डर/ डिमांड ड्राफ्ट / मियादी जमा रसीद / बेंर चैक सं. .... एतदद्वारा संलग्न की जाती है । निविदा जांच दस्तावेज़ के अनुसार अपेक्षित अन्य दस्तावेज़ / कागज़ात भी इसके साथ संलग्न हैं ।

2. यदि हमारी बोली स्वीकारकर ली जाती है तो हम उपर्युक्त निविदा जांच के निबंधनों और शर्तों के अनुसार वित्तीय बोली में उद्धृत दर पर तकनीकी बोली में वर्णित सामान की आपूर्ति करने का बचन देते हैं ।

3. हम आगे यह भी पुष्टि करते हैं कि यदि हमारी बोली स्वीकार कर ली जाती है तो हम निविदाजांच की शर्तों में स्वीकार्य रूप में अपेक्षित राशि की एक निष्पादन प्रतिभूति आपको प्राप्त करेंगे ।

4. हम हमारी बोली को निष्पादन प्रतिभूति के भुगतान की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए और यदि संविदा को उन्हीं निबंधन और शर्तों पर 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जाता है तो इसे स्वीकृति के लिए वैध रहने पर सहमत हैं । हम आगे इस बात की पुष्टि करते है कि उपर्युक्त अवधि के भीतर आपकी लिखित स्वीकृति के सपठित यह बोली हमारे बीच बंधकारी संविदा गठित करेगी ।

5. हम आगे यह समझते है कि आप निम्नतम या कोई बोली जो आपकी ऊपर संदर्भित निविदा जांच के विरूद्ध प्राप्त करते हैं, को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं ।

6. हम उपर्युक्त निविदा जांच के सभी निबंधनों और शर्तों को स्वीकार करते हैं ।

....

(दिनांक सहित हस्ताक्षर)

....

(नाम और पदनाम)

.... के लिए और की ओर से निविदा पर

हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत प्राधिकृत

....

(फर्म की कार्यालय मुहर)

टिप्पणी: फर्म की कार्यालय मुहर और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर इस प्रारूप के प्रत्येक पृष्ठ पर किए जाने हैं ।

अनुबंध-I क

(दैनिक अपेक्षा)

ए सी / नॉन ए सी डी एल वाई टैक्सियों की आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन को प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप (दैनिक अपेक्षाएं)

फर्म का नाम :

..

टैक्सी :- वैगन आर / स्विफ्ट / आई 10 / टोयोटा लीवा और समकक्ष।

तालिका -1

क्रम सं.	विवरण	दर			
		दिल्ली राज्य		राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	
		ए सी	नॉन ए सी	ए सी	नॉन ए सी
1.	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे				
2.	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे				
3.	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.				
4.	अतिरिक्त दर प्रति घंटे				
5.	बाहरी यात्रा प्रति कि.मी.				
6.	रात्रि प्रभार				
7.	मासिक आधार पर 2400 कि.मी.एवं 240 घंटे				
7.1	अतिरिक्त कि.मी.				
7.2	अतिरिक्त घंटे				

टिप्पणी (1) डी एल वाई टैक्सियों को किराए पर लेने के मामले में, 40 कि.मी. अथवा 5 घंटों को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय तक रोककर रखा जाता है, इसे पूरा माना जाएगा। ऐसे परिदृश्य में कि.मी. का कोई औचित्य नहीं है। यदि प्रयोक्ता 5 घंटे के भीतर 40 कि.मी. से अधिक की यात्रा करते हैं तब प्रभार

केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए होगा और वाहन को "आधे दिन" के उपयोग के रूप में माना जाएगा। यदि घंटों की सं. पांच घंटों से अधिक है तो किराए पर लिए गए वाहन को पूरे दिन के रूप में माना जाएगा । तब कि.मी. के उपयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है ।

(2) ए सी / नॉन ए सी टैक्सियों के लिए दरें अलग -अलग उद्धत की जानी चाहिए।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि एन आई टी की सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं ।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

अनुबंध-I ख

(दैनिक अपेक्षा)

ए सी / नॉन ए सी डी एल वाई टैक्सियों की आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन को प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप (दैनिक अपेक्षाएं)

फर्म का नाम :

..

टैक्सी :- ईको या समकक्ष

तालिका -2

क्रम सं.	विवरण	दर			
		दिल्ली राज्य		राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	
		ए सी	नॉन ए सी	ए सी	नॉन ए सी
1.	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे				
2.	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे				
3.	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.				
4.	अतिरिक्त दर प्रति घंटे				
5.	बाहरी यात्रा प्रति कि.मी.				
6.	रात्रि प्रभार				
7.	मासिक आधार पर 2400 कि.मी.एवं 240 घंटे				
7.1	अतिरिक्त कि.मी.				
7.2	अतिरिक्त घंटे				

टिप्पणी (1) डी एल वाई टैक्सियों को किराए पर लेने के मामले में, 40 कि.मी. अथवा 5 घंटों को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय तक रोककर रखा जाता है, इसे पूरा माना जाएगा। ऐसे परिदृश्य में कि.मी. का कोई औचित्य नहीं है। यदि प्रयोक्ता 5 घंटे के भीतर 40 कि.मी. से अधिक की यात्रा करते हैं तब प्रभार केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए होगा और वाहन को "आधे दिन" के उपयोग

के रूप में माना जाएगा। यदि घंटों की सं. पांच घंटों से अधिक है तो किराए पर लिए गए वाहन को पूरे दिन के रूप में माना जाएगा । तब कि.मी. के उपयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है ।

(2) ए सी / नॉन ए सी टैक्सियों के लिए दरें अलग -अलग उद्धत की जानी चाहिए।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि एन आई टी की सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं ।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

अनुबंध-। ग

(दैनिक अपेक्षा)

ए सी / नॉन ए सी डी एल वाई टैक्सियों की आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन को प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप (दैनिक अपेक्षाएं)

फर्म का नाम :

..

टैक्सी :- **इंडिगो / डिजायर / ईटोस सा समकक्ष ।**

तालिका -3

क्रम सं.	विवरण	दर			
		दिल्ली राज्य		राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	
		ए सी	नॉन ए सी	ए सी	नॉन ए सी
1.	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे				
2.	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे				
3.	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.				
4.	अतिरिक्त दर प्रति घंटे				
5.	बाहरी यात्रा प्रति कि.मी.				
6.	रात्रि प्रभार				
7.	मासिक आधार पर 2400 कि.मी.एवं 240 घंटे				
7.1	अतिरिक्त कि.मी.				
7.2	अतिरिक्त घंटे				

टिप्पणी (1) डी एल वाई टैक्सियों को किराए पर लेने के मामले में, 40 कि.मी. अथवा 5 घंटों को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय तक रोककर रखा जाता है, इसे पूरा माना जाएगा। ऐसे परिदृश्य में कि.मी. का कोई औचित्य नहीं है। यदि प्रयोक्ता 5 घंटे के भीतर 40 कि.मी. से अधिक की यात्रा करते हैं तब प्रभार केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए होगा

और वाहन को "आधे दिन" के उपयोग के रूप में माना जाएगा। यदि घंटों की सं. पांच घंटों से अधिक है तो किराए पर लिए गए वाहन को पूरे दिन के रूप में माना जाएगा । तब कि.मी. के उपयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

(2) ए सी / नॉन ए सी टैक्सियों के लिए दरें अलग -अलग उद्धत की जानी चाहिए ।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि एन आई टी की सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं ।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

अनुबंध-I घ

(दैनिक अपेक्षा)

एसी / नॉन ए सी डी एल वाई टैक्सियों की आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन को प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

फर्म का नाम-----------------------------------

टैक्सी:- **एस एक्स 4/ सियाज़ या समकक्ष**

तालिका -4

क्रम सं.	विवरण	दर			
		दिल्ली राज्य		राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	
		ए सी	नॉन ए सी	ए सी	नॉन ए सी
1.	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे				
2.	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे				
3.	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.				
4.	अतिरिक्त दर प्रति घंटे				
5.	बाहरी यात्रा प्रति कि.मी.				
6.	रात्रि प्रभार				
7.	मासिक आधार पर 2400 कि.मी.एवं 240 घंटे				
7.1	अतिरिक्त कि.मी.				
7.2	अतिरिक्त घंटे				

टिप्पणी (1) डी एल वाई टैक्सियों को किराए पर लेने के मामले में, 40 कि.मी. अथवा 5 घंटों को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय तक रोककर रखा जाता है, इसे पूरा माना जाएगा। ऐसे परिदृश्य में कि.मी. का कोई औचित्य नहीं है। यदि प्रयोक्ता 5 घंटे के भीतर 40 कि.मी. से अधिक की यात्रा करते हैं तब प्रभार केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए होगा और वाहन को "आधे दिन" के उपयोग के रूप में माना जाएगा। यदि घंटों की सं. पांच घंटों

से अधिक है तो किराए पर लिए गए वाहन को पूरे दिन के रूप में माना जाएगा । तब कि.मी. के उपयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

(2) ए सी / नॉन ए सी टैक्सियों के लिए दरें अलग -अलग उद्धृत की जानी चाहिए ।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि एन आई टी की सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं ।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

अनुबंध-। ड.

(दैनिक अपेक्षा)

एसी / नॉन एसी डी एल वाई टैक्सियों की आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन को प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

फर्म का नाम-----------------------------------

टैक्सी:- **ईनोवा या समकक्ष**

तालिका-5

क्रम सं.	विवरण	दर			
		दिल्ली राज्य		राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	
		ए सी	नॉन ए सी	ए सी	नॉन ए सी
1.	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे				
2.	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे				
3.	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.				
4.	अतिरिक्त दर प्रति घंटे				
5.	बाहरी यात्रा प्रति कि.मी.				
6.	रात्रि प्रभार				
7.	मासिक आधार पर 2400 कि.मी.एवं 240 घंटे				
7.1	अतिरिक्त कि.मी.				
7.2	अतिरिक्त घंटे				

टिप्पणी (1) डी एल वाई टैक्सियों को किराए पर लेने के मामले में, 40 कि.मी. अथवा 5 घंटों को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय तक रोककर रखा जाता है, इसे पूरा दिन माना जाएगा। ऐसे परिदृश्य में कि.मी. का कोई औचित्य नहीं है। यदि प्रयोक्ता 5 घंटे के भीतर 40 कि.मी. से अधिक की यात्रा करते हैं तब प्रभार केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए

होगा और वाहन को "आधे दिन" के उपयोग के रूप में माना जाएगा। यदि घंटों की सं. पांच घंटों से अधिक है तो किराए पर लिए गए वाहन को पूरे दिन के रूप में माना जाएगा । तब कि.मी. के उपयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

(2) ए सी / नॉन ए सी टैक्सियों के लिए दरें अलग -अलग उद्धृत की जानी चाहिए ।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि एन आई टी की सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं ।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

अनुबंध-Iच

(150 डी एल वाई टैक्सियों की विस्तृत अपेक्षा)

ए सी / नॉन ए सी डी एल वाई टैक्सियों की आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन को प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप (दैनिक अपेक्षाएं)

फर्म का नाम :

...

टैक्सी :- वैगन आर / स्विफ्ट / आई 10 / टोयोटा लीवा और समकक्ष।

तालिका -6

क्रम सं.	विवरण	दर			
		दिल्ली राज्य		राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	
		ए सी	नॉन ए सी	ए सी	नॉन ए सी
1.	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे				
2.	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे				
3.	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.				
4.	अतिरिक्त दर प्रति घंटे				
5.	बाहरी यात्रा प्रति कि.मी.				
6.	रात्रि प्रभार				
7.	मासिक आधार पर 2400 कि.मी.एवं 240 घंटे				
7.1	अतिरिक्त कि.मी.				
7.2	अतिरिक्त घंटे				

टिप्पणी (1) डी एल वाई टैक्सियों को किराए पर लेने के मामले में, 40 कि.मी. अथवा 5 घंटों को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय तक रोककर रखा जाता है, इसे पूरा माना जाएगा। ऐसे परिदृश्य में कि.मी. का कोई औचित्य नहीं है। यदि प्रयोक्ता 5 घंटे के भीतर 40 कि.मी. से अधिक की यात्रा करते हैं तब प्रभार केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए होगा और वाहन को "आधे दिन" के उपयोग

के रूप में माना जाएगा। यदि घंटों की सं. पांच घंटों से अधिक है तो किराए पर लिए गए वाहन को पूरे दिन के रूप में माना जाएगा । तब कि.मी. के उपयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है ।

(2) ए सी / नॉन ए सी टैक्सियों के लिए दरें अलग -अलग उद्धत की जानी चाहिए।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि एन आई टी की सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं ।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

अनुबंध-I छ

(150 डी एल वाई टैक्सियों की विस्तृत अपेक्षा)

ए सी / नॉन ए सी डी एल वाई टैक्सियों की आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन को प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप (दैनिक अपेक्षाएं)

फर्म का नाम :

...

टैक्सी :- ईको या समकक्ष

तालिका -7

क्रम सं.	विवरण	दर			
		दिल्ली राज्य		राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	
		ए सी	नॉन ए सी	ए सी	नॉन ए सी
1.	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे				
2.	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे				
3.	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.				
4.	अतिरिक्त दर प्रति घंटे				
5.	बाहरी यात्रा प्रति कि.मी.				
6.	रात्रि प्रभार				
7.	मासिक आधार पर 2400 कि.मी.एवं 240 घंटे				
7.1	अतिरिक्त कि.मी.				
7.2	अतिरिक्त घंटे				

टिप्पणी (1) डी एल वाई टैक्सियों को किराए पर लेने के मामले में, 40 कि.मी. अथवा 5 घंटों को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय तक रोककर रखा जाता है, इसे पूरा माना जाएगा। ऐसे परिदृश्य में कि.मी. का कोई औचित्य नहीं है। यदि प्रयोक्ता 5 घंटे के भीतर 40 कि.मी. से अधिक की यात्रा करते हैं तब प्रभार केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए होगा और वाहन को "आधे दिन" के उपयोग

के रूप में माना जाएगा। यदि घंटों की सं. पांच घंटों से अधिक है तो किराए पर लिए गए वाहन को पूरे दिन के रूप में माना जाएगा । तब कि.मी. के उपयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है ।

(2) ए सी / नॉन ए सी टैक्सियों के लिए दरें अलग -अलग उद्धत की जानी चाहिए।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि एन आई टी की सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं ।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

अनुबंध-I ज

(150 डी एल वाई टैक्सियों की विस्तृत अपेक्षा)

ए सी / नॉन ए सी डी एल वाई टैक्सियों की आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन को प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप (दैनिक अपेक्षाएं)

फर्म का नाम :

..

टैक्सी :- **इंडिगो / डिजायर / ईटोस सा समकक्ष ।**

तालिका -8

क्रम सं.	विवरण	दर			
		दिल्ली राज्य		राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	
		ए सी	नॉन ए सी	ए सी	नॉन ए सी
1.	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे				
2.	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे				
3.	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.				
4.	अतिरिक्त दर प्रति घंटे				
5.	बाहरी यात्रा प्रति कि.मी.				
6.	रात्रि प्रभार				
7.	मासिक आधार पर 2400 कि.मी.एवं 240 घंटे				
7.1	अतिरिक्त कि.मी.				
7.2	अतिरिक्त घंटे				

टिप्पणी (1) डी एल वाई टैक्सियों को किराए पर लेने के मामले में , 40 कि.मी. अथवा 5 घंटों को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय तक रोककर रखा जाता है, इसे पूरा माना जाएगा। ऐसे परिदृश्य में कि.मी. का कोई औचित्य नहीं है। यदि प्रयोक्ता 5 घंटे के भीतर 40 कि.मी. से अधिक की यात्रा करते हैं तब प्रभार केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए होगा

और वाहन को "आधे दिन" के उपयोग के रूप में माना जाएगा। यदि घंटों की सं. पांच घंटों से अधिक है तो किराए पर लिए गए वाहन को पूरे दिन के रूप में माना जाएगा । तब कि.मी. के उपयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

(2) ए सी / नॉन ए सी टैक्सियों के लिए दरें अलग -अलग उद्धत की जानी चाहिए ।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि एन आई टी की सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं ।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

अनुबंध-। झ

(150 डी एल वाई टैक्सियों की विस्तृत अपेक्षा)

एसी / नॉन ए सी डी एल वाई टैक्सियों की आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन को प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

फर्म का नाम----------------------------------

टैक्सी:- एस एक्स 4/ सियाज़ या समकक्ष

तालिका -9

क्रम सं.	विवरण	दर			
		दिल्ली राज्य		राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	
		ए सी	नॉन ए सी	ए सी	नॉन ए सी
1.	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे				
2.	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे				
3.	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.				
4.	अतिरिक्त दर प्रति घंटे				
5.	बाहरी यात्रा प्रति कि.मी.				
6.	रात्रि प्रभार				
7.	मासिक आधार पर 2400 कि.मी.एवं 240 घंटे				
7.1	अतिरिक्त कि.मी.				
7.2	अतिरिक्त घंटे				

टिप्पणी (1) डी एल वाई टैक्सियों को किराए पर लेने के मामले में, 40 कि.मी. अथवा 5 घंटों को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय तक रोककर रखा जाता है, इसे पूरा माना जाएगा। ऐसे परिदृश्य में कि.मी. का कोई औचित्य नहीं है। यदि प्रयोक्ता 5 घंटे के भीतर 40 कि.मी. से अधिक की यात्रा करते हैं तब प्रभार केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए होगा और वाहन को "आधे दिन" के उपयोग के रूप में माना जाएगा। यदि घंटों की सं. पांच घंटों

से अधिक है तो किराए पर लिए गए वाहन को पूरे दिन के रूप में माना जाएगा । तब कि.मी. के उपयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

(2) ए सी / नॉन ए सी टैक्सियों के लिए दरें अलग -अलग उद्धृत की जानी चाहिए ।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि एन आई टी की सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं ।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

अनुबंध-। ञ

(150 डी एल वाई टैक्सियों की विस्तृत अपेक्षा)

एसी / नॉन एसी डी एल वाई टैक्सियों की आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन को प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

फर्म का नाम----------------------------------

टैक्सी:- ईनोवा या समकक्ष

तालिका-10

क्रम सं.	विवरण	दर			
		दिल्ली राज्य		राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	
		ए सी	नॉन ए सी	ए सी	नॉन ए सी
1.	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे				
2.	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे				
3.	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.				
4.	अतिरिक्त दर प्रति घंटे				
5.	बाहरी यात्रा प्रति कि.मी.				
6.	रात्रि प्रभार				
7.	मासिक आधार पर 2400 कि.मी.एवं 240 घंटे				
7.1	अतिरिक्त कि.मी.				
7.2	अतिरिक्त घंटे				

टिप्पणी (1) डी एल वाई टैक्सियों को किराए पर लेने के मामले में, 40 कि.मी. अथवा 5 घंटों को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय तक रोककर रखा जाता है, इसे पूरा दिन माना जाएगा। ऐसे परिदृश्य में कि.मी. का कोई औचित्य नहीं है। यदि प्रयोक्ता 5 घंटे के भीतर 40 कि.मी. से अधिक की यात्रा करते हैं तब प्रभार केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए

होगा और वाहन को "आधे दिन" के उपयोग के रूप में माना जाएगा। यदि घंटों की सं. पांच घंटों से अधिक है तो किराए पर लिए गए वाहन को पूरे दिन के रूप में माना जाएगा । तब कि.मी. के उपयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

(2) ए सी / नॉन ए सी टैक्सियों के लिए दरें अलग -अलग उद्धृत की जानी चाहिए ।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि एन आई टी की सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं ।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

अनुबंध-। ट

(वरिष्ठ अधिकारियों के लिए- वाहन 3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए)

एसी / नॉन एसी डी एल वाई टैक्सियों की आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन को प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

फर्म का नाम-----------------------------------

टैक्सी:- डिजायर या समकक्ष

तालिका-11

क्रम सं.	विवरण	दर			
		दिल्ली राज्य		राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	
		ए सी	नॉन ए सी	ए सी	नॉन ए सी
1.	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे				
2.	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे				
3.	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.				
4.	अतिरिक्त दर प्रति घंटे				
5.	बाहरी यात्रा प्रति कि.मी.				
6.	रात्रि प्रभार				
7.	मासिक आधार पर 2400 कि.मी.एवं 240 घंटे				
7.1	अतिरिक्त कि.मी.				
7.2	अतिरिक्त घंटे				

टिप्पणी (1) डी एल वाई टैक्सियों को किराए पर लेने के मामले में, 40 कि.मी. अथवा 5 घंटों को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय तक रोककर रखा जाता है, इसे पूरा दिन माना जाएगा। ऐसे परिदृश्य में कि.मी. का कोई औचित्य नहीं है। यदि प्रयोक्ता 5 घंटे के

भीतर 40 कि.मी. से अधिक की यात्रा करते हैं तब प्रभार केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए होगा और वाहन को "आधे दिन" के उपयोग के रूप में माना जाएगा। यदि घंटों की सं. पांच घंटों से अधिक है तो किराए पर लिए गए वाहन को पूरे दिन के रूप में माना जाएगा । तब कि.मी. के उपयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

(2) ए सी / नॉन ए सी टैक्सियों के लिए दरें अलग -अलग उद्धृत की जानी चाहिए ।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि एन आई टी की सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं ।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

<u>अनुबंध-। ठ</u>

(वरिष्ठ अधिकारियों के लिए- वाहन 3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए)

एसी / नॉन एसी डी एल वाई टैक्सियों की आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन को प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

फर्म का नाम----------------------------------

टैक्सी:- एस एक्स4 / सियाज या समकक्ष

तालिका-12

क्रम सं.	विवरण	दर			
		दिल्ली राज्य		राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	
		ए सी	नॉन ए सी	ए सी	नॉन ए सी
1.	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे				
2.	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे				
3.	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.				
4.	अतिरिक्त दर प्रति घंटे				
5.	बाहरी यात्रा प्रति कि.मी.				
6.	रात्रि प्रभार				
7.	मासिक आधार पर 2400 कि.मी.एवं 240 घंटे				
7.1	अतिरिक्त कि.मी.				
7.2	अतिरिक्त घंटे				

टिप्पणी (1) डी एल वाई टैक्सियों को किराए पर लेने के मामले में, 40 कि.मी. अथवा 5 घंटों को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय तक रोककर रखा जाता है, इसे पूरा दिन माना जाएगा। ऐसे परिदृश्य में कि.मी. का कोई औचित्य नहीं है। यदि प्रयोक्ता 5 घंटे के भीतर 40 कि.मी. से अधिक की यात्रा करते हैं तब प्रभार केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए होगा और वाहन को "आधे दिन" के उपयोग के रूप में माना जाएगा। यदि घंटों की सं. पांच घंटों

से अधिक है तो किराए पर लिए गए वाहन को पूरे दिन के रूप में माना जाएगा । तब कि.मी. के उपयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

(2) ए सी / नॉन ए सी टैक्सियों के लिए दरें अलग -अलग उद्धृत की जानी चाहिए ।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि एन आई टी की सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं ।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

अनुबंध-I ड

(लग्जरी वाहनों की विशेष अपेक्षा के लिए)

एसी / नॉन एसी डी एल वाई टैक्सियों की आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन को प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

फर्म का नाम----------------------------------

टैक्सी:- होन्डा सिटी/ हुन्डई वर्ना/ वॉक्सवैगन वेन्टो/ टोयोटा कोरोला या समकक्ष

तालिका-13

क्रम सं.	विवरण	दर			
		दिल्ली राज्य		राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	
		ए सी	नॉन ए सी	ए सी	नॉन ए सी
1.	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे				
2.	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे				
3.	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.				
4.	अतिरिक्त दर प्रति घंटे				
5.	बाहरी यात्रा प्रति कि.मी.				
6.	रात्रि प्रभार				
7.	मासिक आधार पर 2400 कि.मी.एवं 240 घंटे				
7.1	अतिरिक्त कि.मी.				
7.2	अतिरिक्त घंटे				

टिप्पणी (1) डी एल वाई टैक्सियों को किराए पर लेने के मामले में, 40 कि.मी. अथवा 5 घंटों को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय तक रोककर रखा जाता है, इसे पूरा दिन माना जाएगा। ऐसे परिदृश्य में कि.मी. का कोई औचित्य नहीं है। यदि प्रयोक्ता 5 घंटे के भीतर 40 कि.मी. से अधिक की यात्रा करते हैं तब प्रभार केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए

होगा और वाहन को "आधे दिन" के उपयोग के रूप में माना जाएगा। यदि घंटों की सं. पांच घंटों से अधिक है तो किराए पर लिए गए वाहन को पूरे दिन के रूप में माना जाएगा । तब कि.मी. के उपयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

(2) ए सी / नॉन ए सी टैक्सियों के लिए दरें अलग -अलग उद्धृत की जानी चाहिए ।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि एन आई टी की सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं ।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

<u>अनुबंध-I ढ</u>

एसी मिनी बस की आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन को प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

फर्म का नाम----------------------------------

एसी मिनी बस की बनावट:...

बैठने की क्षमता 15-20

तालिका-14

क्रम सं.	विवरण	दर			
		दिल्ली राज्य		राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	
		ए सी	नॉन ए सी	ए सी	नॉन ए सी
1	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे				
2	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे				
3	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.				
4	अतिरिक्त दर प्रति घंटे				
5	बाहरी यात्रा प्रति कि.मी.				
6	रात्रि प्रभार				
7	मासिक आधार पर 2400 कि.मी.एवं 240 घंटे				
7.1	अतिरिक्त कि.मी.				
7.2	अतिरिक्त घंटे				

टिप्पणी (1) ए सी मिनी बसों को किराए पर लेने के मामले में , 40 कि.मी. और 5घंटों को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय तक रोककर रखा जाता है, इसे पूरा माना जाएगा। ऐसे परिदृश्य में कि.मी. का कोई औचित्य नहीं है। यदि प्रयोक्ता 5 घंटे के भीतर 40 कि.मी. से अधिक की यात्रा करते हैं तब प्रभार केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए होगा और वाहन को "आधे दिन" के उपयोग के रूप में माना जाएगा। यदि घंटों की सं. पांच घंटों से अधिक है तो किराए पर लिए गए वाहन को पूरे दिन के रूप में माना जाएगा । तब कि.मी. के उपयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

(2) प्रमाणित किया जाता है कि एन आई टी की सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

अनुबंध-II

जांच सूची

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का दूरभाष / मोबाइल सं. सहित फर्म / बोलीदाता का नाम एवं पता:-

1	क्या जमा धरोहर राशि प्रस्तुत की गई है	हां / नहीं
2	क्या वर्ष 2013-2014, 2014-15 एवं 2015-2016 के दौरान बोलीदाता का वार्षिक कारोबार 100 लाख प्रति वर्ष से कम नहीं है	हां / नहीं
3	यदि हां तो क्या चार्टरित लेखाकार द्वारा प्रमाणित विगत तीन वर्षों अर्थात 2013-2014, 2014-15 एवं 2015-2016 का वार्षिक लेखा संलग्न किया गया है	हां / नहीं
4	क्या वर्ष 2013-2014, 2014-15 एवं 2015-2016 की आयकर विवरणी	हां / नहीं
5	क्या 31.3.2016 तक फिक्सड एसेट के रूप में दर्शाए गए वाहनों की सूची सहित 2015-16 की आयकर विवरणी संलग्न की गई है	हां / नहीं
6	क्या एसी मिनी बस का विवरण संलग्न किया गया है	हां / नहीं
7	क्या निविदा दस्तावेज की शर्त सं. 4.10 के अंतर्गत की गई अपेक्षाओं के अनुसार एसी / नॉन-एसी का विवरण देते हुए बोलीदाता के अपनी डी एल वाई टैक्सियों की सं. एवं मॉडल को दर्शाते हुए सूची संलग्न की गई है	हां / नहीं
8	क्या तात्कालिक विगत वर्षों में बोलीदाता के पास सरकारी / अर्द्ध-सरकारी / स्वायत्तशासी संगठनों / विभागों में 4 वर्ष का प्रचालन अनुभव है	हां / नहीं
9	क्या बोलीदाता के पास आज की तारीख में **दो** अनवरत / जारी संविदा है	हां / नहीं
10	यदि हां तो क्या विवरणी प्रस्तुत की गई है	हां / नहीं
11	क्या पैन कार्ड एवं सेवाकर पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न है	हां / नहीं
12	क्या अनुबंध-III में दिए गए प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया गया है	हां / नहीं
13	क्या बोलीदाता ने उनकी वित्तीय बोली में सभी श्रेणी के वाहनों अर्थात अनुबंध-1 की सभी 14 मूल्य अनुसूची की सभी मदों के लिए दरें उद्धृत की हैं।	हां / नहीं

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

फर्म / बोलीदाता का नाम एवं पता

<u>परिवचन</u>

सेवा में

श्री अनिल कुमार,
अवर सचिव (बैठक एवं अनुरक्षण),
संघ लोक सेवा आयोग,
धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड,
नई दिल्ली - 69

संदर्भ : आपका दिनांक.................. का निविदा जांच दस्तावेज संख्या....................... ।

हम अधोहस्ताक्षरी यह प्रस्तुत करते हैं कि हालांकि हमारे पास कोई एसी मिनी बस नहीं है, हम एतदद्वारा यह परिवचन देते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग की अपेक्षाओं और मिनी बस के लिए अनुमोदित दरों के अनुसार खुले बाजार से मिनी बस किराए पर लेकर आयोग को उपलब्ध कराएंगे।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

फर्म / बोलीदाता का नाम तथा पता

अनुबंध-।।।

सं.लो.से.आ. को डी एल वाई टैक्सियों की आपूर्ति के लिए निविदा आमंत्रण सूचना

प्रमाणपत्र

आपके दिनांक-------------------- के निविदा आमंत्रण सूचना के प्रत्युत्तर में हमने ---(फर्म का नाम एवं पता) संघ लोक सेवा आयोग में डी एल वाई टैक्सियों की आपूर्ति के लिए आपके विचारार्थ तकनीकी एवं वित्तीय बोली प्रस्तुत की है। निविदा आमंत्रण सूचना के अंतर्गत यथा अपेक्षित जानकारी हम एतदद्वारा निम्नानुसार प्रमाणित करते हैं:-

1. कि प्रदान किए जाने वाले एसी / नॉन-एसी वाहन विद्यमान यूरो / भारत स्टेज मानक या समय-समय पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा लागू किसी अन्य मानक के होंगे ।
2. कि मांग पर ड्यूटी पर लगाए गए वाहन के चालक के पास दिल्ली की सड़कों का पूरी तरह से अनुभव होगा।
3. कि हमें निविदा की सभी निबंधन एवं शर्तें स्वीकार्य हैं ।
4. कि मुझे/हम लोगों को तात्कालिक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान आय/धन को छिपाने के लिए दंडित या दोषी करार नहीं दिया गया है ।
5. कि हमने निविदा आमंत्रण सूचना में विनिर्दिष्ट कार्य के क्षेत्र को पूरी तरह समझ लिया है और हमारी बोली पूर्ण रूप से कार्य क्षेत्र के अनुरूप है ।
6. कि फर्म को न तो किसी सरकारी विभाग द्वारा काली सूची में डाला गया है और न ही भारत में किसी भी स्थान पर फर्म के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला पंजीकृत लंबित है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

फर्म / बोलीदाता का नाम तथा पता

<u>अनुबंध-IV</u>

<u>ऑन लाइन बोली प्रस्तुत करने के अनुदेश</u>

बोलीदाताओं को वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का प्रयोग करते हुए सी पी पी पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक माध्यम से बोलियों की साफ्ट प्रति प्रस्तुत करना अपेक्षित है । नीचे दिए गए अनुदेश का तात्पर्य सी पी पी पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए, अपेक्षानुसार अपनी बोलियों को तैयार करने तथा सी पी पी पोर्टल पर अपनी बोलियों को ऑन लाइन प्रस्तुत करने में बोलीदाताओं की सहायता करना है। सीपीपीपी पोर्टल पर ऑन लाइन बोली प्रस्तुत करने के लिए और अधिक उपयोगी जानकारी <u>https : // eprocure.gov.in / eprocure /app</u> से प्राप्त की जा सकती है ।

<u>पंजीकरणः</u>

1. बोलीदाताओं को केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल के ई-प्रोक्यूरमेंट माड्यूल (यू आर एलः <u>https:// eprocure.gov.in/eprocure/app)</u> (सी पी पी पोर्टल) पर “ऑन लाइन बोलीदाता इनरॉलमेंट” के लिंक पर क्लिक करके जो प्रभार रहित है, पर इनरॉल करना अपेक्षित है ।
2. इनरॉलमेंट प्रक्रिया के भाग के रूप में बोलीदाताओं को यूनिक यूजरनेम का चयन तथा अपने अकाउन्ट के लिए पासवर्ड असाईन करना अपेक्षित होगा ।
3. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि पंजीकरण प्रक्रिया के रूप में अपने वैध ई-मेल आई डी तथा मोबाइल नं. को रजिस्टर करें । इसे सी पी पी पोर्टल से किसी भी प्रकार के संपर्क के लिए प्रयोग में लाया जाएगा ।
4. इनरॉलमेंट पर बोलीदाताओं को अपने –अपने प्रोफाइल सहित सी सी ए भारत द्वारा मान्यता प्राप्त (अर्थात सीफी / टी सी एस / एन काड / ई-मुद्रा आदि) किसी प्रमाणिक प्राधिकारी द्वारा जारी वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (साइनिंग की यूजेज सहित श्रेणी II या श्रेणी III प्रमाण पत्र) को रजिस्टर करना अपेक्षित होगा ।
5. बोलीदाता द्वारा केवल एक वैध डी एस सी पंजीकृत करना चाहिए । कृपया नोट कर लें कि बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के प्रति जिम्मेदार होंगे कि उन्होंने अपना डी एस सी किसी अन्य व्यक्ति को उधार नहीं दिया है, जो इसका दुरूपयोग कर सकता है ।

6. बोलीदाता तब सुरक्षित लॉग इन के माध्यम से अपना यूज़र आई डी / पासवर्ड और डी एस सी / ई- टोकन के पासवर्ड को प्रविष्ट कर साइट पर लॉग करें ।

<u>निविदा दस्तावेज़ की खोजः</u>

1) सी पी पी पोर्टल पर विभिन्न खोज विकल्प मौजूद है, विभिन्न प्राचलों द्वारा सक्रिय निविदा की खोज हेतु बोलीदाताओं को सुविधा प्रदान की गई है । इन प्राचलों में निविदा आई डी, संगठन का नाम अवस्थिति, तारीख, मूल्य आदि शामिल किए जा सकते थे । निविदा की उन्नत खोज के लिए एक और विकल्प मौजूद है जिसमें बोलीदाता खोज प्राचलों की संख्या जैसे संगठन का नाम, संविदा फर्म, अवस्थिति, तारीख, अन्य कीवर्ड आदि सी पी पी पोर्टल पर प्रकाशित निविदा की खोज के लिए शामिल कर सकते है ।

2) अपनी रूचि की निविदा का चयन करने के बाद बोलीदाता अपेक्षित दस्तावेज़ / निविदा कार्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं । ये निविदाएं संबंधित 'मेरी निविदा' फोल्डर में भेजी जा सकती हैं । यह सी पी पी पोर्टल बोलीदाताओं को एस एम एस/ ई-मेल के माध्यम से बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में जारी होने वाले शुद्धि पत्र की जानकारी देने की क्षमता प्रदान प्रदान करेगा ।

3) प्रत्येक निविदा को दिए गए यूनिक निविदा आई डी का एक नोट बना लेना चाहिए। यदि बोलीदाता हैल्प डैस्क से किसी प्रकार का स्पष्टीकरण / मदद चाहते हैं ।

<u>बोली को तैयार करनाः</u>

1) अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ के संबंध में प्रकाशित किसी की शुद्धिपत्र को ध्यान में रखना चाहिए ।

2) कृपया निविदा विज्ञापन तथा निविदा दस्तावेजो को सावधानीपूर्वक पूरी तरह से पढ़ लें और बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजो को समझ लें। कृपया लिफाफे की संख्या जिसमें बोली दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने हैं, प्रत्येक दस्तावेज़ जिन्हें प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा है, का नाम तथा विषय वस्तु सहित दस्तावेज़ों की संख्या को नोट कर लें । इनसे उत्पन्न किसी प्रकार के विचलन के कारण बोली अस्वीकृत की जा सकती है ।

3) बोलीदाता को अग्रिम में बोली दस्तावेज़ / अनुसूची में यथानिर्दिष्ट बोली दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए और ये दस्तावेज़ पी डी एफ / एक्स एल एस / आर ए आर / डी डब्ल्यू एफ / जे पी जी फार्मेट में होने चाहिए । बोली दस्तावेजो को श्वेत तथा श्याम विकल्प सहित 100 डी पी आई के साथ स्कैन किया जाए जो स्कैन किए गए दस्तावेज़ों के आकार को छोटा करने में मदद करता है।

4) उसी प्रकार के अपेक्षित मानक दस्तावेज़ों का अपलोड करने में लगने वाले समय एवं प्रयास को कम करने के लिए, जिसे प्रत्येक बोली के रूप में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, ऐसे मानक दस्तावेज़ों (अर्थात पैन कार्ड की प्रति, वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र आदि) को अपलोड करने का प्रावधान बोलीदाताओं को मुहैया कराया गया है। ऐसे दस्तावेज़ों को अपलोड करने के लिए बोलीदाता उनको उपलब्ध"माई स्पेस" या "अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़" वाले क्षेत्र का प्रयोग कर सकते है। बोली को प्रस्तुत करते समय इन दस्तावेज़ों को सीधे "माई स्पेस" पर प्रस्तुत सकते है और इन्हें बार-बार अपलोड करने की अपेक्षा नहीं है । यह बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में लगने वाले अपेक्षित समय को कम करेगा ।

<u>बोली को प्रस्तुत करना :</u>

1) बोलीदाता को बोली को प्रस्तुत करने के लिए अग्रिम में साईट पर लॉग करना चाहिए ताकि वे बोली को समय पर अर्थात् बोली प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख या उससे पहले अपलोड कर सकते हैं। अन्य मुद्दों के कारण किसी भी देरी के लिए बोलीदाता जिम्मेदार होंगे ।

2) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में यथानिर्दिष्ट अपेक्षित दस्तावेजो को डिजीटल हस्ताक्षर करके एक-एक कर अपलोड करना हैं ।

3) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में यथा लागू निविदा शुल्क / जमा धरोहर राशि का भुगतान करने के लिए "ऑफ लाईन" भुगतान विकल्प का चयन करना होगा और उपकरण के विवरण को प्रविष्ट करना होगा ।

4) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार जमा धरोहर राशि तैयार करनी चाहिए । मूल दस्तावेज़ को डाक / कुरियर / संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत

रूप से बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख या निविदा दस्तावेज़ में यथा निर्दिष्ट तारीख या निविदा दस्तावेज़ में यथावर्णित तारीख तक भेजी जानी चाहिए । डिमांड ड्राफ्ट / कोई अन्य स्वीकार्य रूप या व्यक्तिगत रूप से भेजे गए विवरणों का मिलान स्कैन प्रति में उपलब्ध विवरण तथा प्रस्तुत करने के समय के दौरान प्रविष्ट किए गए डेटा के साथ कर लेना चाहिए अन्यथा अपलोड की गई बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

5) बोलीदाताओं से अनुरोध किया जाता है कि उन्हें नोट कर लेना चाहिए कि उन्होंने अनिवार्य रूप से प्रदान किए गए फार्मेट में ही अपनी वित्तीय बोली को जमा किया है तथा कोई अन्य फार्मेट स्वीकार्य नहीं है । यदि बोली मूल्य निविदा दस्तावेज़ के साथ मानक बी ओ क्यू फार्मेट में नहीं दिया गया है, तो उक्त को डाउन लोड करने और उसे सभी बोलीदाताओं द्वारा भरा जाए । बोलीदाताओं को बी ओ क्यू फाइल डाउन लोड करना अपेक्षित है इसे खोलें और अपने वित्तीय कोट्स तथा अन्य विवरणियों (जैसे बोलीदाता का नाम) सहित सफेद रंग की (असुरक्षित) सेल्स को पूरा करें । किसी अन्य सेल्स को परिवर्तित न करें । एक बार विवरणियों के पूरा हो जाने पर बोलीदाता को इसे सेव कर लेना चाहिए और फाइल के नाम को परिवर्तित किए बिना ऑन लाइन प्रस्तुत कर दें । यदि बी ओ क्यू फाइल को बोलीदाता द्वारा आशोधित किए जाते हुए पाया जाते है तो बोली अस्वीकार कर दी जाएगी ।

6) सर्वर टाइम (जिसे बोलीदाता के डेशबोर्ड पर प्रदर्शित किया गया है) को बोलीदाता द्वारा बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख, बोलियों को खोलना आदि को संदर्भ के लिए मानक समय माना जाएगा । बोलीदाताओं को बोली के प्रस्तुतीकरण के दौरान इस समय का अनुपालन करना चाहिए

7) बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज़ इन्क्रिपशन प्रविधि पी.के.आई का प्रयोग करते हुए इन्क्रिप्टेड होंगे ताकि डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके । बोली को खोले जाने के समय तक प्रविष्ट किए गए डेटा को अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता है । इन्क्रिपशन प्रौद्योगिकी के 128 बिट सुरक्षित सॉकेट लेयर का प्रयोग करते हुए बोली की गोपनीयता को अनुरक्षित किया गया है । संवेदनशील क्षेत्रों का डेटा स्टोरेज इन्क्रिपशन किया गया है । कोई बोली दस्तावेज़ जिसे सर्वर पर अपलोड किया गया है जो क्रर्मिक कुंजी जनित प्रणाली का उपयोग करते हुए क्रमिक इन्क्रिपशन के अध्यधीन है । इसके अतिरिक्त यह कुंजी ऐसे मैट्रिक इन्क्रिपशन का प्रयोग कर क्रेता / बोली खोलने वाले सार्वजनिक कुंजी के अध्यधीन है । समग्र रूप से अपलोड किए गए

निविदा दस्तावेज़ प्राधिकृत बोली खोलने वाले द्वारा निविदा के खोलने के बाद ही केवल पठनीय होगा ।

8) अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज़ प्राधिकृत बोली खोलने वाले अधिकारी द्वारा निविदा को खोलने के बाद ही पठनीय होगा ।

9) बोली के सफल तथा समयबद्ध तरीके से प्रस्तुतीकरण (अर्थात् पोर्टल में "फ्रिज बिड सबमिशन" को क्लिक करने के बाद), पोर्टल सफल बोली प्रस्तुतीकरण संदेश देगा और बोली सं. और सभी संगत विवरणी सहित बोली को प्रस्तुत करने की तारीख एवं समय के साथ बोली समरी प्रदर्शित हो जाएगी ।

10) बोली समरी को मुद्रित किया जाना अपेक्षित है और बोली के प्रस्तुतीकरण के पावती के रूप में इसे रख लें । इस पावती को बोली के खुलने की किसी भी बैठक के लिए एन्ट्री पास के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है ।

<u>बोलीदाताओं को सहायता</u>

1) निविदा दस्तावेज़ उनमें समाविष्ट निबंधन एवं शर्तों से संबंधित किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या निविदा में निर्दिष्ट संगत संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति को संबोधित की जानी चाहिए ।
2) ऑन लाइन बोली प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया से संबंधित किसी प्रकार की पूछ ताछ या सामान्य रूप से सी पी पी पोर्टल से संबंधित पूछ ताछ को 24X7 सी पी पी पोर्टल हेल्प डेस्क को अग्रेषित कर सकते हैं । हेल्प डेस्क के लिए संपर्क नं. 180030702232 है । बोलीदाता मोबाइल सं. +91-7878007972 एवं + 91-7878007973 से भी मदद ले सकते हैं ।

डी एल वाई टैक्सी की आपूर्ति के लिए **निविदा आमंत्रण सूचना**